

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कल्याण प्रसाद | नैनी चंद

नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी ह

30-11-21.

वकील उभय पक्ष उपर। वकील अपीलान्ट का कथन है कि प्रभावली से सम्बंधित दावा अधि न्याया. में निहित हो चुका है। संलग्न अधि न्यायालय की प्रभावली का अवलोकन किया गया अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि दिनांक 02-11-12 की आदेशिका अनुसार दावा वादी स्वार्जि किया जा चुका है। अधिनस्थ न्यायालय में कूल दावा स्वार्जि / निहित होने के पश्चात 212 शा. के प्राप्ति की अपील का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रभावली प्रभाव हीन में स्वार्जि की जाती है। प्रभावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाणा कारखाने दफ्तर

धो

सू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)